



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 431 राँची, सोमवार, 2 श्रावण, 1945 (श०)
24 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 जुलाई, 2023

पत्र संख्या: पर्यटन/विविध-55/2011 -----14-- विभागीय संकल्प सं. - 663 दिनांक 30-03-2016 द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति का गठन किया गया था। विभागीय संकल्प सं. - 02 दिनांक 06-06-2022 द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन समिति को पुर्नगठित करते हुए जिला पर्यटन संवर्धन परिषद से प्रतिस्थापित किया गया है।

2- राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की वर्तमान संरचना निम्नवत् है -

- | | | |
|-------|--|---------|
| (i) | निदेशक] पर्यटन निदेशालय] झारखण्ड] राँची- अध्यक्ष | |
| (ii) | निदेशक] संस्कृति निदेशालय] झारखण्ड] राँची या उनके प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (iii) | प्रबंध निदेशक] झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि.] राँची | - सदस्य |
| (iv) | मुख्य अभियंता/प्रभारी अभियंत्रण कोषांग] पर्यटन] कला संस्कृति] खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग | - सदस्य |
| (v) | अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई अन्य अधिकारी | - सदस्य |
| (vi) | संयुक्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी पर्यटन योजना प्रशाखा)] पर्यटन] कला संस्कृति] खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग | - सदस्य |

उक्त समिति में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े Stakeholders की सदस्यता नहीं है तथा विभागीय अभियंत्रण कोषांग समाप्त हो गया है।

3- इस समिति में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े Stakeholders व पर्यटन से संबंधित कुछ अन्य पदाधिकारियों को भी शामिल करने तथा समिति के दायित्व एवं शक्तियों में विस्तार करने की आवश्यकता है। अतः निम्नानुसार राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को पुर्नगठित किया जाता है:-

- | | | |
|---------|---|--------------|
| (i) | सचिव] पर्यटन] कला संस्कृति] खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग] झारखण्ड] राँची- | अध्यक्ष |
| (ii) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी] झारखण्ड] राँची | - सदस्य |
| (iii) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास] झारखण्ड] राँची | - सदस्य |
| (iv) | निदेशक] पर्यटन निदेशालय] झारखण्ड] राँची | - सदस्य सचिव |
| (v) | निदेशक] संस्कृति निदेशालय] झारखण्ड] राँची | - सदस्य |
| (vi) | प्रबंध निदेशक] झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि.] राँची | - सदस्य |
| (vii) | निदेशक] हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय] झारखण्ड] राँची | - सदस्य |
| (viii) | निदेशक] जनजातीय कल्याण शोध संस्थान] राँची | - सदस्य |
| (ix) | कार्यपालक निदेशक] झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि.] राँची | - सदस्य |
| (x) | प्राचार्य] होटल प्रबंधन संस्थान] ब्राम्बे] राँची | - सदस्य |
| (xi) | प्राचार्य] फूड क्राफ्ट संस्थान] देवघर | - सदस्य |
| (xii) | अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित पर्यटन क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी रखने वाले दो नागरिक- | सदस्य |
| (xiii) | एसोसिएशन ऑफ़ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ़ इंडिया (ADTOA) के झारखण्ड से संबंधित एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (xiv) | साहसिक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ATOAI) के झारखण्ड से संबंधित एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (xv) | इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स (IATO) के झारखण्ड से संबंधित एक प्रतिनिधि- | सदस्य |
| (xvi) | फेडरेशन ऑफ़ होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FHRAI) के झारखण्ड से संबंधित एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (xvii) | टूर एण्ड टेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ़ झारखण्ड के एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (xviii) | झारखण्ड टैवल्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (xix) | विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव] (प्रभारी] पर्यटन)] पर्यटन] कला संस्कृति] खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग] राँची | - सदस्य |

4- कण्डिका (ii), (iii), (vii), (viii) के पदाधिकारी बैठक में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकने की स्थिति में अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु नामित कर सकेंगे।

5- उक्त समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार (त्रैमासिक) होगी।

6- राज्य पर्यटन संवर्धन समिति (STPC) द्वारा निम्न कार्य किया जायेगा:-

- (i) जिला पर्यटन संवर्धन परिषद से प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसा पर विचार कर अपनी अनुशंसा करना।

- (ii) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नवोन्मेषी विचार/सुझाव विभाग को उपलब्ध कराना ।
 - (iii) पर्यटक स्थल/राजकीय महोत्सव अधिसूचित करने हेतु अनुशंसा करना ।
 - (iv) जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को उनके कार्यों/जिला में पर्यटन के विकास व संवर्धन हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को सुझाव/निदेश देना ।
 - (v) निदेशालय से प्राप्त वार्षिक प्रचार-प्रसार योजना पर विचारण व अनुमोदन ।
 - (vi) वित्तीय वर्ष में समेकित विकास हेतु पर्यटक स्थलों को चिन्हित करना व कराये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में अनुशंसा करना ।
 - (vii) राज्य में पर्यटन के विकास व संवर्धन से संबंधित अन्य सुझाव/अनुशंसा करना ।
- 7- समय-समय पर समिति की संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से इस समिति की संरचना में परिवर्तन किया जा जायेगा ।
 - 8- इस समिति के सुझाव एवं अनुशंसा पर विभागीय मंत्री का निर्णय अंतिम होगा ।
 - 9- विभागीय संकल्प सं.-1494 दिनांक 26-08-2015 द्वारा घोषित नीति एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1969 दिनांक 07-12-2015 द्वारा जारी नियमावली में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति को इस राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से प्रतिस्थापित किया जाता है ।
 - 10- विभागीय संकल्प संख्या - 663 दिनांक 30-03-2016 को अवक्रमित किया जाता है ।
 - 11- उक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक - 1217 दिनांक 06-07-2023 के क्रम में झारखण्ड मंत्रिपरिषद की दिनांक 11-07-2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या - 14 के रूप में स्वीकृति दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
